गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
Garden Reach Shipbuilders & Engineers Limited

Regd & Corp Office: GRSE Bhavan, 61, Garden Reach Road, Kolkata – 700 024
Tel : (033) 2469-8545; **Fax :** (033) 2469-8150
Website : www.grse.in; **E-mail :** investor.grievance@grse.co.in
(CIN: L35111WB1934GOI007891)

105वीं वार्षिक साधारण बैठक के लिए सदस्यों को सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एक सामान्य स्थान पर सदस्यों की उपस्थिति के बगैर कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों तथा उसके अधीन गठित नियमों तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व तथा प्रकटन आवश्यकताओं) विनियमन, 2015 के साथ पठित कॉरपोरेट कार्य विषयक मंत्रालय ("एमसीए") तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी ("सेबी") द्वारा इस विषय पर जारी लागू सभी सर्कुलरों के अनुसार **वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ("ओएवीएम")** के जरिए एजीएम के आह्वान के सूचना में निर्धारित साधारण व्यवसायिक पहलुओं पर विचार करने के लिए **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड ("कंपनी") की 105वीं वार्षिक साधारण बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 10 सितम्बर, 2021 को सुबह 10.30 बजे आयोजित की जाएगी।**

105वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन के साथ वित्त वर्ष 2020-21 के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण सहित बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा उसके साथ संलग्न किए जाने वाले अन्य दस्तावेज उस सभी सदस्यों को भेज दिए गए हैं, जिनके ईमेल का पता कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटों/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन की भौतिक प्रतिलिपि प्रेषित करने की आवश्यकताएं एमसीए तथा सेबी सर्कुलरों के अनुसार सम्पन्न किया गया है। एजीएम की सूचना तथा वार्षिक प्रतिवेदन कंपनी की वेबसाइट www.grse.in एवं स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड www.nseindia.com तथा www.bseindia.com क्रमशः पर भी उपलब्ध है।

सदस्यगण सिर्फ वीसी/ओवीएएम सुविधा के जरिए एजीएम में शामिल तथा भाग ले सकते हैं। वोटिंग करने के साथ रिमोट वोटिंग तथा सदस्यों द्वारा एजीएम में शामिल होने के तरीके के साथ सूचना तथा निर्देशावलियां एजीएम की सूचना में प्रदत्त है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अधीन कोरम की गणना के उद्देश्य से वीसी/ओवीएएम सुविधा के जरिए भाग लेने वाले सदस्यों की गिनती की जाएगी।

रिकार्ड तिथि एवं बही बंद

कंपनी की 105वीं एजीएम तथा अंतिम लाभांश के भुगतान के उद्देश्य हेतु सदस्यों के रजिस्टर तथा कंपनी के शेयर अंतरण बही **04 सितम्बर, 2021 से 10 सितम्बर, 2021 (दोनों दिन सहित)** बंद रहेंगी। एजीएम में अगर लाभांश की घोषणा की जाती है, तो इसकी घोषणा की तारीख से 30 दिनों के अंदर उन सदस्यों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम रिकार्ड तिथि को सदस्यों/लाभभोगी स्वत्वाधिकारी के रजिस्टर में दर्ज हैं।

रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग

कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर वोट डालने के लिए अपने सभी सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के जरिए वोटिंग की सुविधा एजीएम के दौरान भी उपलब्ध कराई जाएगी। एजीएम में उपस्थित होने वाले सदस्यगण, जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपना वोट नहीं डाले हैं वे एजीएम में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोट डाल सकते हैं। कंपनी ने ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप मे **एनएसडीएल** की सेवा नियुक्त की है।

कोई भी व्यक्ति, जिन्होंने एजीएम की सूचना के भेजे जाने के उपरांत शेयरों का अधिग्रहण कर सदस्यता ग्रहण की है, वे यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं तथा एजीएम की सूचना में यथा उल्लेखित प्रारूप में ई-वोटिंग के निर्देशों का पालन करते हुए अपना वोट डाल सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग **मंगलवार, 7 सितम्बर, 2021 (सुबह 9.00 बजे भामास) को शुरू होगी तथा बृहस्पतिवार, 9 सितम्बर, 2021 (अपराह्न 5.00 बजे भामास) समाप्त होगी।** ऊपर उल्लेखित तारीख एवं समय के उपरांत रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा ऊपर उल्लेखित अवधि के समाप्त होने पर रिमोट ई-वोटिंग प्रारूप निशक्त कर दिया जाएगा। सदस्यगण ध्यान दें कि सदस्यगण जिन्होंने अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग के जरिए डाल चुके हैं वे एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं परंतु वे एजीएम में दोबारा वोट डालने के पात्र नहीं होंगे।

जिस व्यक्ति का नाम सदस्यों/लाभभोगी स्वत्वाधिकारी के रजिस्टर में **शुक्रवार, 3 सितम्बर, 2021 (यानी रिकार्ड तारीख)** को दर्ज है सिर्फ वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ एजीएम के दौरान वोटिंग की सुविधा पाने के पात्र होंगे।

ईमेल का पता पंजीयन/अद्यतन कराने का प्रारूप

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण रखने वाले सदस्यगण, जिन्होंने कंपनी/डिपॉजिटरी के पास अपना ईमेल का पता पंजीकृत/अद्यतन नहीं कराया है, उनसे एजीएम की सूचना, वार्षिक प्रतिवेदन तथा/अथवा ई-वोटिंग सहित वीसी/ओवीएएम के जरिए एजीएम में शामिल होने के लिए लॉग इन का विवरण प्राप्त करने के लिए investor.grievance@grse.co.in पर ईमेल द्वारा नीचे उल्लेखित दस्तावेज की स्कैन की हुई प्रतिलिपि भेजने का अनुरोध किया जाता है:

(क) अपना नाम, फोलियो नं. एवं पता का उल्लेख कर हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र;
(ख) शेयर सर्टिफिकेट (सामने एवं पीछे);
(ग) पैन कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि तथा
(घ) सदस्य के पंजीकृत पता के समर्थन में किसी भी दस्तावेज (यानी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव पहचान पत्र, पासपोर्ट) का स्वयं सत्यापित प्रतिलिपि।

इसके अलावा, डिमैटरलाइज्ड प्रारूप में शेयर धारण रखने वाले सदस्यों से अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटों के साथ अपना ईमेल का पता पंजीयन/अद्यतन कराने का अनुरोध किया जाता है।

एजीएम की सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार लाभांश प्राप्त करने के लिए सदस्यों से अपने बैंक विवरण का भी पंजीयन/अद्यतन कराने का अनुरोध किया जाता है।

आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कंपनी अपने शेयरधारकों को भुगतान किए जाने वाले लाभांश पर लागू दरों के अनुसार स्त्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) करेगी। और अधिक विवरण के लिए कृपया एजीएम की सूचना देखें।

ऊपरोक्त जानकारी कंपनी के सभी सदस्यों के सूचनार्थ तथा लाभार्थ जारी की जा रही है तथा एमसीए तथा सेबी द्वारा जारी लागू सर्कुलरों के अनुरूप है। किसी भी तरह के प्रश्न रहने पर सदस्यों से अपने डिमैट खाता/फोलियो के ब्यौरा का उल्लेख कर rta@alankit.com पर मैसर्स अलंकित असाइंमेंट्स लिमिटेड से अथवा investor.grievance@grse.co.in पर कंपनी के साथ सम्पर्क करने का अनुरोध किया जाता है।

कृते गार्डेन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड
हस्ता/-
संदीप महापात्र
कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 17 अगस्त, 2021

Business Standard
Date: 17 Aug 21